दिनांक : .०३.२०१९

सेवा में,

मा. केंद्रीय अन्न एवं नागरी आपूर्ति मंत्री (रामविलास पासवान :उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण),
केंद्र सरकार, नई देहली ११००११

विषय : दूध में मिलावट कर जनता के जीवन को
संकट में डालनेवालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होने के संबंध में ...

महोदय,

शिशु का पालन-पोषण मां के दूध से आरंभ होता है । उसके पश्चात, कोई भी बालक और सामान्य मनुष्य गाय, भैंस, बकरी आदि प्राणियों के दूध का उपयोग अपने आहार में करता है । आजकल अनेक स्थानों पर गाय अथवा भैंस के दूध का उपयोग किया जाता है । इसी प्रकार, अधिकांश दूध का संकलन और वितरण अनेक संस्थाएं और बडे-बडे प्रतिष्ठान ही करते हैं । इस दूध में आजकल बडी मात्रा में मिलावट होने के समाचार मिल रहे हैं । वास्तविक, दूध में की जानेवाली मिलावट, जनता को न केवल ठगना है, अपितु मनुष्य जीवन के लिए घातक भी है ।

*** इस विषय में हम आपके ध्यान में कुछ बातें लाना चाहते हैं ...**

१. महाराष्ट्र में २ लाख लीटर पानी मिलाकर दूध बेचा जाता है । इसलिए, ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता का दूध नहीं मिलता । राज्य की महानगरपालिकाएं, नगरपालिकाएं और अन्न एवं औषध प्रशासन इस विषय में कठोर कार्यवाही नहीं करता । इससे, पानी की मिलावटवाले दूध का व्यापार बढा है ।

२. महाराष्ट्र में प्रतिदिन १ करोड १५ लाख लीटर दूध का संकलन होता है । मुंबई, पुणे जैसे महानगरों में ३.५ प्रतिशत स्निग्धांश और ८.५ प्रतिशत एस.एन.एफ. गुणवत्ता का थैलीवाला दूध बेचना नियमतः अनिवार्य है; परंतु इस नियम का पालन न कर, २.५ प्रतिशत स्निग्धांशवाले थैली के दूध बेचे जाते हैं ।

३. आजकल बाजार में गोकुल, वारणा, प्रभात, राजहंस, अमूल सहित स्थानीय छोटे प्रकल्पों के लगभग ४०० से अधिक ब्राण्डों के दूध विविध नामों से थैलियों में बेचे जाते हैं । बिक्री की व्यवस्था थोक और खुदरा विक्रेताओं के हाथ में होने से, १० प्रतिशत दूध में पानी की मिलावट की रहती है । इस प्रकार, ग्राहकों से प्रतिदिन ५० लाख रुपए लूटे जा रहे हैं । इस भ्रष्टाचार से, किसान की भी हानि हो रही है ।

४. पानी की मिलावटवाले दूध विक्रेता पर कार्यवाही करने का अधिकार महानगरपालिका, नगरपालिका और अन्न एवं औषध प्रशासन को है । परंतु, अनुभव यह है कि पानी की मिलावटवाला दूध बेचनेवालों के विरुद्ध कहीं भी कार्यवाही नहीं की जाती ।

५. भारतीय पशु कल्याण मंडल से सदस्य मोहन सिंह अहलुवालिया ने कहा है कि पूरे देश में बेचे जानेवाले दूध और दुग्धनिर्मित पदार्थों के ६८.७ प्रतिशत उत्पाद भारतीय अन्न सुरक्षा एवं प्रमाणन अधिकरण के मानदंड के अनुसार प्रयोगशाला में शुद्ध नहीं पाए गए थे । उनमें कपडे धोने के पाउडर, कॉस्टिक सोडा, ग्लुकोज, श्वेत रंग, रिफाइन तेल आदि पाए गए थे । देश में, दक्षिण के राज्यों की तुलना में उत्तरी राज्यों में मिलावट की मात्रा अधिक पाई गई ।

६. भारतीय अन्न सुरक्षा एवं मानक अधिकरण के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि प्रक्रिया किए हुए अनेक दूध के नमूनों में ४६.८ प्रतिशत निर्धारित मानदंड के अनुसार शुद्ध नहीं हैं । उनमें भी, १७.३ प्रतिशत दूध मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे ।

७. राजस्थान में अन्न एवं औषध प्रशासन के निरीक्षकों ने अनेक जनपदों में अचानक छापा मारकर दूध और दुग्धनिर्मित पदार्थों की जांच की । तब पता चला कि दूध में 'फैट' की मात्रा बढाने के लिए ग्लिसरीन मिला जा है तथा घी में चरबी मिलाई जा रही है । इसके साथ ही, आइस्क्रीम, कुल्फी आदि दुग्धनिर्मित पदार्थों में भी मिलावट की जा रही है, यह बात निरीक्षकों के ध्यान में आई ।

८. आजकल दूध में मिलावट बहुत बढ गया है । इस मिलावट के लिए दूध में वनस्पति घी, स्टार्च, यूरिया, चीनी, ग्लुकोज, मालटोडेक्स्ट्रीन, दूध पाउडर, ग्लिसरीन, सेल्युलोज, खाद्य तेल, डिटर्जंट पाउडर आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है । ऐसे दूध उत्पादकों के यहां छापे मारे जाते हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है । परंतु, यह कार्यवाही तत्कालिक होती है ।

९. मुंबई के दूधविक्रेता ग्राहकों को लगभग ७८ प्रतिशत निकृष्ट दूध देते हैं, यह प्रतिवेदन 'कन्झ्युमर गाईडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया' इस संस्था ने राज्य और केंद्र सरकार के उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रस्तुत किया है । इस संस्था ने जांच के लिए दूध के ६९० नमूने लिए हैं जिनमें से केवल २१ प्रतिशत नमूने सही पाए गए । उसके अनुसार मुंबई, ठाणे और राज्य के अन्य भागों में दूध में मिलावट की समस्या से निपटने के लिए व्यापक तंत्र सक्रिय है, यह कहना है इस क्षेत्र के जानकार लोगों का । अन्न और औषध प्रशासन विभाग का कहना है कि उपभोक्ता संस्थाएं हमारे पास अपना जांच-प्रतिवेदन देंगी, तो हम दूध में मिलावट करनेवालों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ।

१०. महाराष्ट्र के अन्न और नागरी आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट ने विधानसभा को बताया कि वर्ष २०१७-१८ में दूध के २ सहस्त्र १३८ नमूनों की जांच की गई । उनमें ३९० नमूने अल्प गुणवत्ता के और २०९ नमूने असुरक्षित पाए गए । असुरक्षित पाए गए । ऐसे दूधविक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने में वर्तमान कानून सक्षम नहीं हैं । मिलावटी दूध पकडने के लिए बना प्रतिवेदन १४ दिन के भीतर (?किसके सामने) प्रस्तुत करना पडता है । परंतु, मिलावटी दूध को जांचने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में प्रयोगशालाएं नहीं हैं । इसलिए, दूध के नमूनों की जांच के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में भेजना पडता है । जांच का यह प्रतिवेदन समय पर नहीं आता; इसलिए आरोपी निर्दोष छूट जाते हैं । मुंबई में सैकडों दूध वितरक हैं । उनके यहां की दूध की थैलियां हजारों स्थान पर जाती हैं । उन सबकी जांच संभव नहीं । दूध का उत्पादन बढाने के लिए दुधारू पशु को इंजेक्शन दिया जाता है । ऐसा करने का हेतु किसी को मारना नहीं, अपितु अपनी आय बढाना होता है । फिर भी, यह घातक है और इसलिए, ऐसा करनेवालों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने की बात कही गई थी ।

*** इस ज्ञापन में हमारी निम्नांकित मांगें हैं :**

१. सरकार दूध में मिलावट की जांच करने के लिए आवश्यक संख्या में प्रयोगशालाओं का निर्माण कराए ।

२. दूध में मिलावट की पहचान करने के लिए सरकार की ओर से 'प्रशिक्षण' कार्यक्रम चलाए जाएं, जनसामान्य मिलावट पहचान सके, इसके लिए उनके बीच जनजागृति कार्यक्रम किए जाएं ।

३. अपने लाभ के लिए दूध में मिलावट करनेवाले दूध उत्पादकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए सक्षम कानून बनाए जाएं तथा मानवीय स्वास्थ्य से खेलवाड करनेवालों के विरुद्ध उसमें कठोर आर्थिक दंड, हानिभरपाई एवं अनुज्ञप्ति निरस्त करने का प्रावधान हो ।

४. दूध में मिलावट करनेवाले वितरकों का पता लगाकर उनके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही करें ।

५. दूध में प्रतिदिन इतनी बडी मात्रा में मिलावट होने पर भी निष्क्रिय रहनेवाले, जानबूझ कर ऐसी घटनाओं की उपेक्षा करनेवाले, दूध उत्पादकों से मिले हुए सरकार के अन्न एवं औषध प्रशासन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें ।

प्रतिलिपि : मा. अन्न एवं नागरी आपूर्ति मंत्री,/ मा. औषध एवं खाद्यान्न आपूर्ति मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

आपका विश्वापात्र,

हिन्दू जनजागृति समिति के लिए
(संपर्क :)